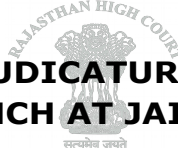




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2652/2026

1. Gavarika, Daughter Of Shri Ashok Dadich, Aged About 23 Years, Resident Of Devdungri, Mirja Bawdi Road, Madanganj Kishagarh District Ajmer, Rajasthan.
2. Shrimati Anju Sharma Wife Of Shri Ashok Sharma, Aged About 42 Years, Resident Of Devdungri, Mirja Bawdi Road, Madanganj Kishagarh District Ajmer, Rajasthan.
3. Ashok Kumar Sharma Son Of Shri Hanuman Prasad, Aged About 46 Years, Resident Of Devdungri, Mirja Bawdi Road, Madanganj Kishagarh District Ajmer, Rajasthan.
4. Abhishek Dadich Son Of Ashok Kumar Sharma, Aged About 25 Years, Resident Of Devdungri, Mirja Bawdi Road, Madanganj Kishagarh District Ajmer, Rajasthan.
5. Fateh Chand Son Of Tulsi Ram, Aged About 51 Years, Resident Of Billu Police Station Parbatsar District Didwana Kuchaman Rajasthan.

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Vedprakash Dadich Son Of Shri Kaluram, Aged About 51 Years, Resident Of Virat Nagar House No. 48 B Near Kids Convent School Madanganj Kishangarh, District Ajmer, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Ritika Jain, Adv. Ms. Ranu Khangarot, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Mohit Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्तगण तथा परिवादी/प्रत्यर्थी क्रम-2 का संयुक्त रूप से निवेदन है कि पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो चुका है,



अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किये जाने पर राजीनामा योग्य अपराधों में राजीनामा तस्दीक किया जाकर उन आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है, लेकिन शेष अपराध धारा 191(2)/190, 333/190, 110/190 बी.एन.एस. में मामला राजीनामा योग्य नहीं होने से तस्दीक नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष रखते हुये निवेदन किया कि धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजीनामे के आधार पर लंबित आपराधिक विचारण की सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त की जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने विधि-सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

याची/अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप हैं, वह अपराध गंभीर व जघन्य अपराध की श्रेणी का नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने की स्थिति तथा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण स्थिति को देखते हुए अब अधीनस्थ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही को निरन्तर रखे जाने का कोई विधिपूर्ण औचित्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

उपरोक्तानुसार यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा पुलिस थाना—मदनगंज, जिला—अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 397/2024 तथा उससे संबंधित विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम—02 किशनगढ़, अजमेर के यहां लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 10/2025 की कार्यवाही को अपास्त किया जाकर याची/अभियुक्त 1. गवारिका, 2. श्रीमती अंजु शर्मा, 3. अशोक कुमार शर्मा, 4. अभिषेक दाधीच तथा 5. फतेह चंद को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J